भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या 279
दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र का विकास

279. श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) रूप से संचालित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के जिलावार ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

"रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र का विकास" के संबंध में दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 279 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(ए) से (च): रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। विभाग द्वारा की गई पहल नीचे दर्शाई गई हैं: -

(i) पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर): भारत सरकार ने निवेश आकर्षित करने और पीसीपीआईआर में रोजगार सृजन के लिए पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति, 2007 को अधिसूचित किया है। पीसीपीआईआर एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। पीसीपीआईआर की संकल्पना क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ की गई है, जिसमें व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा और सहायक सेवाएं शामिल हैं। विकसित किए जाने वाले सामान्य बुनियादी ढांचे में सड़क, रेल, पोर्ट, हवाई अड्डे और दूरसंचार, विद्युत कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र आदि शामिल हैं।

तीन पीसीपीआईआर दाहेज (गुजरात), विशाखापत्तनम-काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) और पारादीप (ओडिशा) में स्थापित किए गए हैं।

(ii) प्लास्टिक पार्क: विभागीय योजना जिसके तहत भारत सरकार परियोजना लागत के 50% तक अनुदान सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये है, के एक भाग के रूप में देश के विभिन्न राज्यों में अपेक्षित बुनियादी ढांचे और सक्षम सामान्य सुविधाओं के साथ 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है, ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन में मदद मिल सके।

(iii) केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट): यह रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत एक तकनीकी शिक्षा संस्थान है, जो देश में पेट्रोरसायन एवं संबद्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता के साथ-साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। सिपेट के देश भर में 48 केंद्र हैं, जिनमें 9 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीटी), 32 कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस), 03 पॉलिमर में उन्नत अनुसंधान स्कूल (एसएआरपी) और 4 उप-केंद्र शामिल हैं।

(iv) उत्कृष्टता केंद्र: उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) स्थापित करने की योजना का उद्देश्य मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार लाने तथा नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करना है। इसमें मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया है। इस योजना के तहत भारत सरकार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 5.0 करोड़ रुपये है। अब तक 18 उत्कृष्टता केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है।

(v) **रसायन संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस):** इस योजना का उद्देश्य अध्ययन, सर्वेक्षण, डेटा बैंक, प्रचार सामग्री के माध्यम से ज्ञान उत्पादों के निर्माण के द्वारा रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के विकास और वृद्धि को सुविधाजनक बनाना है, साथ ही इस क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करके अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा देती है।

(vi) **कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)** गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है और यह उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नई पीढ़ी के कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए काम कर रहा है। यह संस्थान सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल सूत्रीकरणों के लिए प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक विकसित और हस्तांतरित करने में सक्षम रहा है। आईपीएफटी कृषि और घरेलू सूत्रीकरणों दोनों के लिए जैव-प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी और कीटनाशक अवशेषों के लिए सीआईबी एंड आरबी दिशानिर्देशों के अनुसार डेटा तैयार करने में उद्योगों की मदद कर रहा है। आईपीएफटी उद्योग को समाधान/सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास परियोजनाएँ भी चलाता है।

(vii) केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) ने जयपुर में एक कौशल विकास एवं तकनीकी सहायता केंद्र (सिपेट: सीएसटीएस) की स्थापना की है, जो कौशल विकास, शिक्षा और तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करके स्थानीय प्लास्टिक और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा, जयपुर में एक पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट: आईपीटी) की भी स्थापना की गई है, जो विशिष्ट बी.टेक., एम.टेक. और एम.एससी. कार्यक्रम प्रदान करता है और क्षेत्र में पेट्रोरसायन सेक्टर में प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग को पूरा करता है।

(viii) विभाग ने अप्रैल, 2021 में छत्तीसगढ़ के सरोरा में एक प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है, जिसकी कुल परियोजना लागत 42.09 करोड़ रुपये है, जिसमें 21.04 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान भी शामिल है। इसके अलावा, सिपेट ने स्थानीय उद्योग को कौशल विकास, शैक्षणिक और तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए कोरबा और रायपुर में दो कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (सिपेट: सीएसटीएस) स्थापित किए हैं। इसके अलावा, रायपुर में शैक्षणिक और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट: आईपीटी) की स्थापना की गई है।

******